भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1021

उत्तर देने की तारीखः 09.03.201**7**

मध्याह्न भोजन योजना में रसोई-सह-भंडार गृह का निर्माण

1021. श्री नारायण लाल पंचारियाः

**क्या** मानव संसाधन विकास मंत्री **दिनांक 2 फरवरी 2017 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 81 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) देश भर में मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत स्कूलों में खाना पकाने तथा खाद्यानों के**

**सुरक्षित भंडारण के लिए रसोई-सह-भंडार गृह के निर्माण के लिए सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है**;

**(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में**, **राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार**, **स्कूलों में निर्मित रसोई-सह-भंडार गृहों की संख्या कितनी-कितनी है**;

**(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान सरकार को रसोई-सह-भंडार गृहों के निर्माण के लिए निर्धारित**

**निधियों के संबंध में अनियमितताओं/भ्रष्टाचार/ न्यून-उपयोगिता के मामलों का पता चला है**; **और**

**(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं तथा उस पर क्या कार्रवाई की गई है**?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री उपेंद्र कुशवाहा)

**(क) और (ख): मध्याह्न भोजन योजना के तहत, निर्धारित निधियन पद्धति के अनुसार रसोई-सह-भंडार गृहों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसे 01.04.2015 से संशोधित किया गया है। यह निधियन केन्द्र तथा पूर्वोत्तर तथा 3 हिमालयी राज्यों के बीच 90:**10; **संघ राज्य क्षेत्रों के लिए** 100% **और अन्य सभी राज्यों के लिए** 60:40 **है। केन्द्र सरकार ने 2006-07 से 2015-16 के दौरान 10,05,477 रसोई-सह-भंडार गृहों के निर्माण के लिए 8009.02 करोड़ रुपए जारी किए हैं जिसमें से 7,96,319 रसोई-सह-भंडार गृहों का निर्माण संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया गया है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा रसोई-सह-भंडार गृहों के निर्माण के लिए प्रदत्त वित्तीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-**I **में दिया गया है। स्वीकृत रसोई-सह-भंडार गृहों तथा उनके निर्माण का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-**II **में दिया गया है।**

**(ग) और (घ): पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में रसोई-सह-भंडार गृहों के निर्माण हेतु जारी निधियों के उपयोग में अनियमितता के संबंध में केवल एक शिकायत प्राप्त हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को इस मामले में कृत कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।**

**\*\*\*\*\***

**अनुबंध- I**

**सरकार द्वारा रसोई-सह-भंडार गृहों के निर्माण के लिए प्रदत्त वित्तीय सहायता का विवरण**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2013-14 | | 2014-15 | | 2015-16 | |
|  |  | इकाई | राशि (लाख में) | इकाई | राशि  (लाख में) | इकाई | राशि  (लाख में) |
| 1 | आंध्र प्रदेश | - | - | - | - | - | - |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | - | - | - | - | - | - |
| 3 | असम | - | - | - | - | - | - |
| 4 | बिहार | 573 | 553.14 | - | - | - | - |
| 5 | छत्तीसगढ़ | - | - | - | - | - | - |
| 6 | गोवा | - | - | - | - | - | - |
| 7 | गुजरात | 520 9 | 9415.72 | - | - | - | - |
| 8 | हरियाणा | - | - | - | - | - | - |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | - | - | - | - | - | - |
| 10 | जम्मू और कश्मीर | - | - | - | - | - | - |
| 11 | झारखंड | - | - | - | - | - | - |
| 12 | कर्नाटक | 3906 | 11975.59 | - | - | - | - |
| 13 | केरल |  |  |  |  |  |  |
| 14 | मध्य प्रदेश | 22 9 8 | 2643.80 | - | - | - | - |
| 15 | महाराष्ट्र | 6000 | 7834.98 | - | - | - | - |
| 16 | मणिपुर | - | - | - | - | - | - |
| 17 | मेघालय | - | - | - | - | - | - |
| 18 | मिजोरम | - | - | - | - | 110 | 346.50 |
| 19 | नगालैंड | - | - | - | - | - | - |
| 20 | ओडिशा | - | - | - | - | - | - |
| 21 | पंजाब | - | - | - | - | - | - |
| 22 | राजस्थान | - | - | - | - | - | - |
| 23 | सिक्किम | 77 | 168.94 | - | - | - | - |
| 24 | तमिलनाडु | - | - | - | - | - | - |
| 25 | तेलंगाना | - | - | - | - | - | - |
| 26 | त्रिपुरा | 530 | 851.33 | 160 | 292.61 | - | - |
| 27 | उत्तर प्रदेश | - | - | - | - | - | - |
| 28 | उत्तराखंड | 39 | 50.14 | - | - | - | - |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 13129 | 19693.50 | - | - | - | - |
| 30 | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 251 | 802.30 | - | - | - | - |
| 31 | चंडीगढ़ | - | - | - | - | - | - |
| 32 | दादरा एवं नागर हवेली | - | - | - | - | - | - |
| 33 | दमन और दीव | - | - | - | - | - | - |
| 34 | दिल्ली | - | - | - | - | - | - |
| 35 | लक्षद्वीप | - | - | - | - | - | - |
| 36 | पुद्दुचेरी | - | - | - | - | - | - |
|  | **कुल** | **31752** | **53187.13** | **160** | **292.61** | **110** | **346.50** |

टिप्पणीः वर्ष 2016-17 के दौरान रसोई-सह-भंडार गृहों के लिए अब तक कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है।

**अनुबंध- II**

**रसोई-सह-भंडार गृहों के निर्माण की वास्तविक प्रगति**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **2006-07 से 2015-16 के दौरान स्वीकृत रसोई-सह-गृहों की संख्या** | **निर्मित रसोई-सह-भंडार गृहों की संख्या** | |
| **संख्या** | **%** |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 44875 | 16009 | 36% |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 4131 | 4084 | 99% |
| 3 | असम | 56795 | 40193 | 71% |
| 4 | बिहार | 66550 | 53482 | 80% |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 47266 | 40585 | 86% |
| 6 | गोवा | 0 | 0 | 0% |
| 7 | गुजरात | 25077 | 24303 | 87% |
| 8 | हरियाणा | 11483 | 9031 | 79% |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 14 9 5 9 | 14319 | 96% |
| 10 | जम्मू और कश्मीर | 11815 | 7118 | 60% |
| 11 | झारखंड | 39001 | 27311 | 70% |
| 12 | कर्नाटक | 40477 | 37883 | 91% |
| 13 | केरल | 2450 | 2450 | 99% |
| 14 | मध्य प्रदेश | 100751 | 93657 | 93% |
| 15 | महाराष्ट्र | 71783 | 54268 | 80% |
| 16 | मणिपुर | 3053 | 661 | 22% |
| 17 | मेघालय | 9 4 9 1 | 9059 | 95% |
| 18 | मिजोरम | 2506 | 23 9 6 | 96% |
| 19 | नगालैंड | 2223 | 2223 | 100% |
| 20 | ओडिशा | 69152 | 37544 | 54% |
| 21 | पंजाब | 18 9 6 9 | 18 9 6 9 | 100% |
| 22 | राजस्थान | 772 9 8 | 61358 | 79% |
| 23 | सिक्किम | 936 | 936 | 100% |
| 24 | तमिलनाडु | 28470 | 18470 | 65% |
| 25 | तेलंगाना | 30408 | 10077 | 33% |
| 26 | त्रिपुरा \* | 5304 | 5565 | 105% |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 122572 | 112763 | 92% |
| 28 | उत्तराखंड | 15 9 33 | 15416 | 97% |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 81314 | 75 9 30 | 93% |
| 30 | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 251 | 96 | 38% |
| 31 | चंडीगढ़ | 10 | 7 | 70% |
| 32 | दादरा एवं नागर हवेली | 50 | 32 | 64% |
| 33 | दमन और दीव | 32 | 32 | 100% |
| 34 | दिल्ली | 0 | 0 | 0% |
| 35 | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0% |
| 36 | पुद्दुचेरी | 92 | 92 | 100% |
|  | **कुल** | **1005477** | **796319** | **79%** |

\* त्रिपुरा ने स्वीकृती से 261 अधिक रसोई-सह-भंडार गृहों का निर्माण किया है।